

प्रेस नोट

आज दिनाँक 01.10.2020 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित व 15000,15000,रुपये के ईनामी 02 अभियुक्त निवासीगण ग्राम नौगवा पकडिया थाना सुनगढी पीलीभीत संबन्धित मु0अ0स0 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

थाना सुनगढी पीलीभीत मे पंजीकृत मु0अ0स0 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 1. बब्लू पुत्र श्री पंचम सिंह निवासी नौगवा पकडिया थाना सुनगढी जिला पीलीभीत 2.पकंज कुमार पुत्र श्री रामौतार निवासी नौगवा पकडिया शारदा अस्पताल के सामने थाना सुनगढी जिला पीलीभीत मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे थे । जिन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15000-15000 रुपये का ईनाम घोषित था, जिनको आज दिनाँक 01.10.2020 को समय करीब 09.5 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढी व चौकी प्रभारी उ0नि0 अचल कुमार , का0 405 उमेद कुमार . का0 1327 राजू वर्मा , म0का0 138 सोनिया शर्मा मय म0का0 121 भावना शर्मा के साथ मण्डी समिति पीलीभीत के सामने से गिरफ्तार किया गया है। जिनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1.बब्लू पुत्र श्री पंचम सिंह निवासी नौगवा पकडिया थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

- 1.मु0अ0सं 262/2020 धारा 60(2) अबकारी अधि0 थाना सुनगढी जिला पीलीभीत
- 2.मु0अ0सं 1990/16 धारा 379/411 भादवि थाना सुनगढी जिला पीलीभीत
- 3.मु0अ0सं 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

2. पकंज कुमार पुत्र श्री रामौतार निवासी नौगवा पकडिया शारदा अस्पताल के सामने थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

- 1.मु0अ0सं 1990/16 धारा 379/411 भादवि थाना सुनगढी जिला पीलीभीत
- 2.मु0अ0सं 302/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सुनगढी जिला पीलीभीत